राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/9337-48 जयपुर,दिनांकः 15-7-15

जिला कलेक्टर,(सहायता)
जोधपुर (राज0)।

विषयः– अभाव संवत् 2071 में खरीफ खराबा रिपोर्ट के आधार पर घोषित अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक 5331 दिनांक 08.07.2015 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ1(1)(4) आ.प्र.सआ/ सामान्य/ 2014/ 12413–32 दिनांक 12.12.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 15.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है अभाव संवत् 2071 में अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तो की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ लेने की अनुशंसा पत्र दिनांक 08.07.15 के आधार पर एवं भारत सरकार के पत्रांक 32–3/2013–NDM-I दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डो के बिन्दु सं. 6(ii) के अनुसार अभाव संवत् 2071 में आपके जिले की निम्न पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान **निम्नानुसार शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृति जारी की जाती हैः–**

क्र. सं.	तहसील का नाम	पंजीकृत गौशाला का नाम	गौशालाओं में संधारित पशुओं की संख्या		
			बड़े पशु	छोटे पशु	योग
1.	भोपालगढ़	श्री राधेकृष्ण भगवान महावीर गौ सेवा समिति, भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर	84	18	102
		योग :–			102

इसी अनुक्रम में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावें:–

1 <u>अनुदान दरः</u> –
गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के बड़े पशु हेतु 50/– रूपये तथा छोटे पशु हेतु 25/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. <u>पशु आहार</u>–
(i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार

बड़े पशुओं हेतु तथ 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि क्रमशः 11/– रूपये बड़े पशु तथा 5.50 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित एवं राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा क्रय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

3. **निरीक्षण मापदण्ड** :–

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:–

क्र. स.	नम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/ पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के आधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/ पं. समिति

4. **अनुदान की देयता**:–

यहा भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान गौशालाओं की तहसीलदार द्वारा की गई प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण दिनांक से देय होगा।

(ii) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो ।

(iii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावें।:–

क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
ख. पशुओं का रजिस्टर
ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iv) जिला कलक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय–समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. **भुगतानः–**

गौशाला द्वारा सरंक्षित किये जा हे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कियें जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

6. **पशु संख्याः–**

गौशालाओं के पशुओं की संख्या सक्षम अधिकारी, कम से कम उपखण्ड अधिकारी स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्वीकृति के आदेश समय पर ही जारी किये जा सके।

7. **पशु संख्या में बढोतरी** :–

विगत वर्षो में यह देखा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा सूचित संख्या के आधार पर गौशाला अनुदान की स्वीकृति जारी की गई । उक्त संख्या बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर बताई गई। गौशालाओं के पशुओं में वृद्धि होने की दशा में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही आगामी माह की 20 तारीख से पूर्व तक बढे हुए पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें,ताकि बढी हुई संख्या के आधार पर स्वीकृति आदेश समय पर जारी किये जा सके।

8. किसी भी संचालक संस्था जिसके माध्यम से पशु शिविर, चारा डिपो या गौशाला संचालित की जा रही है, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन हैं तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव अभाव अवधि में ही प्रेषित करें।

9. यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन पशु शिविरो की अवधि 90 दिन पूर्ण होने पर उन्हीं पशुओं को अन्य संस्था के नाम से या गौशालाओं के माध्यम से नही खोले जा रहे हैं। अपनी संतुष्टि के उपरांत ही आवश्यक होने पर ही गौशालाओं की स्वीकृति दी जाये।

10. पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।

11. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित गौशाला के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ–पत्र लिया जायें।(संलग्न शपथ–पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)

12. स्वीकृत गौशालाओं का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

13. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.1(1)(1) आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/14/8892–910 दिनांक 03.07.2015 की पालना में, गौशाला अनुदान 90 दिवस तक या **15 जुलाई, 2015 तक** जो भी पहले हो तक के लिए अनुमति दी जावे, किसी भी गौशाला को 90 दिवस से अधिक अवधि का भुगतान देय नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

13/7/15

शासन सचिव

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव